न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 11/2025

अपीलांट –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स–
चेलाराम पुत्र रामजी जाति राईका निवासी गोरधनपुरा, मारूडी तहसील व जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बाड़मेर 2. गोकला पुत्र रामजी 3. उम्मेदा पुत्र लिछमणा 4. लुंगी पत्नि लिछमणा 5. कला पुत्र हिन्दू 6. केसी पत्नि हिन्दू 7. बाबू पुत्र हिन्दू 8. हीरा पुत्र हिन्दू जाति रबारी निवासी गोरधपुरा, मारूडी तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 100 दिनांक 07.09.2017 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री दानसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 2 से 8 सूचना बावजूद अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रर्फॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 15.07.2025

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा गोरधनपुरा पटवार क्षेत्र मारूडी तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 100 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 03.02.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य [illegible] कि मौजा गोरधनपुरा पटवार क्षेत्र मारूडी के खसरा [illegible]44 हैक्टैयर, 504/128 रकबा 2.4605 हैक्टेयर भूमि खातेदारान [illegible]लांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 8 तथा अन्य सहखातेदारों के आये हुए [illegible] वादग्रस्त भूमि में प[illegible]लांट का सही नाम चेला पुत्र रामजी दर्ज था परन्तु हस्तगत नामान्तरकरण संख्या 100 स्वीकृति में हलका पटवारी के संवहन/भूलवंश के कारण गलत नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चोलाराम दर्ज किया गया है जिसे दिनांक 07.09.2025 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2025 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। मौजा गोरधनपुरा पटवार क्षेत्र मारूडी के खसरा नंबर 502 / 128 रकबा 1.7644 हैक्टैयर, 504 / 128 रकबा 2.4605 हैक्टेयर भूमि खातेदारान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 8 तथा अन्य सहखातेदारों के आये हुए थे। वादग्रस्त भूमि में पहले अपीलांट का सही नाम चेला पुत्र रामजी दर्ज था परन्तु हस्तगत नामान्तरकरण संख्या 100 स्वीकृति के दौरान अपीलांट का नाम बिना किसी सरकारी या न्यायालय के आदेश के बिना ही हल्का पटवारी ने अपने स्तर पर ही बदलकर चेला के स्थान पर चोला दर्ज कर दिया। जबकि अपीलांट ने अपना नाम चेला से बदलकर चोला करवाने हेतु पूर्व में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जो मात्र हल्का पटवारी के संवहन / भूलवंश गलत नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 100 भरते समय की भूलवंश चेलाराम के स्थान पर चोलाराम दर्ज हो गया है, जिससे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 100 अपास्त करते हुए अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने हेतु आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण अपना नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकित होने की पूर्व मे जानकारी नही थी तथा वर्तमान मे अरसा कुछ दिन पूर्व अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर [illegible] सी. लेने हेतु जमाबंदी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया [illegible] अपीलांट का नाम गलत अंकित होने से के.सी.सी. [illegible] दिया। जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी जो [illegible] दिनांक 14.01.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 100 दिनांक 07.09.2017 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल मे लाई गई।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा गोरधनपुरा पटवार क्षेत्र मारूडी के खसरा नंबर 502/128 रकबा 1.7644 हैक्टैयर, 504/128 रकबा 2.4605 हैक्टेयर भूमि खातेदारान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 8 तथा अन्य सहखातेदारों के आये हुए थे। वादग्रस्त भूमि में पहले अपीलांट का सही नाम चेला पुत्र रामजी दर्ज था परन्तु हस्तगत नामान्तरकरण संख्या 100 स्वीकृति में हलका पटवारी के संवहन/भूलवंश के कारण गलत नाम दर्ज किया गया है जिसे दिनांक 07.09.2025 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2025 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में पहले अपीलांट का सही नाम चेला पुत्र रामजी दर्ज था परन्तु हस्तगत नामान्तरकरण संख्या 100 स्वीकृति के दौरान अपीलांट का नाम बिना किसी सरकारी या न्यायालय के आदेश के बिना ही हल्का पटवारी ने अपने स्तर पर ही बदलकर चेला के स्थान पर चोला दर्ज कर दिया। जबकि अपीलांट ने अपना नाम चेला से बदलकर चोला करवाने हेतु पूर्व में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जो मात्र हल्का पटवारी के संवहन/भूलवंश गलत नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 100 भरते समय की भूलवंश चेलाराम के स्थान पर चोलाराम दर्ज हो गया है, जिससे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त नामान्तरकरण पारित करने में क[illegible] से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण [illegible] अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 100 अपास्त करते हुए अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने हेतु आदेश फरमावें। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 100 में अपीलांट का नाम संवहन से गलत दर्ज होने के कारण उसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है जिन्हें बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा गोरधनपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 100 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट के दस्तावेजों की जांच कर वास्तविक नाम खातेदारी में दर्ज किया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested